डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 22/22 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस.नम्बर :– 2022/63

उनवान

1. पुरूषोत्तम लाल शर्मा पुत्र मनोहरलाल
2. शान्ती देवी पत्नी मनोहरलाल

} जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरीचरन पुत्र नाहर सिंह, जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

2. वीना शर्मा पत्नी महावीर प्रसाद
3. योगेश कृष्ण
4. आनन्द

} पुत्रगण महावीर प्रसाद } जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 12.03.2021 उनवानी मनोहरलाल बनाम नाहरसिंह मु0न0 145/08

यह अपील .....08.....माह.....06.....सन्.....2026.....व .....श्री कृष्ण कुमार सिंघल एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट्स बाबजूद तामील अनुपस्थित समायत के लिये यह हुक्म है कि... **अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिकरी यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....08.....माह.....06.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 22/22 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2022/63

उनवान

1. पुरूषोत्तम लाल शर्मा पुत्र मनोहरलाल
2. शान्ती देवी पत्नी मनोहरलाल

} जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरीचरन पुत्र नाहर सिंह, जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

2. वीना शर्मा पत्नी महावीर प्रसाद
3. योगेश कृष्ण
4. आनन्द

} पुत्रगण महावीर प्रसाद } जाति ब्राह्मण निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 145/2008 बउनवानी मनोहरलाल बनाम नाहरसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 145/2008 बउनवानी मनोहरलाल बनाम नाहरसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई बाबत इस आशय से पेश किया था कि वादीगण को उक्त विवादित आराजी का बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रिकार्ड में हो रहे प्रतिवादी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण की बाहिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी को जरिये हुक्म ईम्तनाई की डिक्री से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिसके बाद उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.03.2021 को निर्णय पारित कर विवादित आराजी ख.न. 1540 रकबा 2 बीघा के हाल खसरा नं. 3173 रकबा 0.50 हैक्टे. वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई पर प्रतिवादी मृतक नाहरसिंह पुत्र वंशी जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई अंकित है को कलमजन कर वादी सं. 1/1 पुरूषोत्तम को 1/6 हिस्से पर तथा वादी सं. 1/2 मु. वीना शर्मा, 1/2 योगेशकृष्ण,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1/2 आनन्द को संयुक्त की 1/6 हिस्से पर तथा वादी सं. 2 शान्ती देवी की 1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 1 के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र आराजी खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई जिसका हाल खसरा नम्बर 3173 रकबा 0.50 हैक्टर बन्दोवस्त द्वारा निर्मित किया है का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 नाहर सिंह पुत्र बंशी था जिसके द्वारा जरिये रजि० विक्रय–पत्र दिनांक 05.07.1990 को उक्त विवादित आराजी का विक्रय वादीगण/अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के पिता मनोहरलाल को 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट सं. 2 शान्तीदेवी को 1/2 हिस्सा का किया था। तभी से अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 उक्त विवादित आराजी पर आज तक बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु विक्रय पत्र में डीड राईटर की गलती से 1/3 हिस्सा पर श्यामा पुत्र सूका का नाम गलती से अंकित हो गया था तथा विवादित आराजी पर कब्जा भी वादीगण का है जिसे स्वयं श्यामा पुत्र सूका जाति जाटव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा के विक्रय पत्र में मेरा नाम भूल से दर्ज हो गया है जिसकी ताईद बयानों में स्वयं श्यामा पुत्र सूका के पुत्र शेरसिंह पुत्र श्यामा द्वारा भी की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की तनकी सं. 2 के निर्णय में उक्त तनकी को स्वीकार कर वादीगण/अपीलान्ट्स के हक में निर्णित किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय की अन्तिम पैरा में नाहरसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण को कुल 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर शेष इन्द्राजात बदस्तुर रखे जाने के आदेश पारित किये है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 नाहर सिंह द्वारा अपने समस्त हिस्से की आराजीयात का विक्रय पत्र तहरीर करा दिया था तथा उसने आराजी की कीमत प्राप्त कर दी है तथा कब्जा भी क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता नाहर सिंह के हक में 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रखे जाने का निर्णय खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है व समस्त हिस्सा आराजी पर वादीगण/अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राजात दर्ज कर दावा डिक्री किये जाने का आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कानून होने के कारण काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 की जानकारी अपीलान्ट्स को कतई नही थी, क्योंकि अपीलान्ट्स अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता है। इसलिए अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा दावा पेश करते समय यह कह दिया था कि आपको अदालत आने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं पैरवी करता रहूँगा, इसलिए वादी/अपीलान्ट को तहत न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। ना ही उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिवक्ता द्वारा तहत न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी वादी/अपीलान्ट्स को दी गई। वादी/अपीलान्ट्स अपने अधिवक्ता श्री रघुवीर शरण गुप्ता के पास दावे की जानकारी करने दिनांक 21.03.2022 को आये तो उन्हें उक्त दावे के निर्णय की जानकारी हुई तथा उसी दिन नकल प्रार्थना–पत्र पेश किया। नकल दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपीलान्ट्स होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट्स अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश/डिक्री दिनांक 12.03.2021 को आंशिक संशोधित कर आराजी खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा के हाल खसरा नम्बर 3173 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर के सम्पूर्ण रकबा पर अपीलान्ट्स सं. 2 को 1/2 हिस्से का एवं अपीलान्ट सं. 1 को 1/4 हिस्से का तथा तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 4 को हिस्सा बराबर 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम हो रहे इन्द्राज कलमजन किया जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 09.05.2022 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं. 1 :– आया वादी विवादित आराजी ख0न0 1540 रकवा 2.00 बीघा का जरिये विक्रय पत्र तारीख 05.07.90 के अनुसार खातेदार काश्तकार है। **– जिम्मेवादी**

तनकी सं. 2 :– आया उक्त विक्रय पत्र में श्यामा पुत्र सूका का गलती से एक अन्य बयनामा उसी दिन 05.07.90 को तहरीर कराने पर 1/3 हिस्से में नाम दर्ज हो गया जिसे वादी दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। **– जिम्मेवादी**

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 3 :– आया विवादित आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा बयनामा ऐडवर्स पजेशन के आधार पर वादी खातेदार प्राप्त करते हुऐ प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। **– जिम्मेवादी**

तनकी सं. 4 :– आया प्रतिवादी ने वादीगण के पक्ष में कभी कोई बयनामा तहरीर नही किया है यदि प्रतिवादी की लाइल्मी में वादी ने कोई बयनामा ख0न0 1540 करा लिया है तो वह प्रति. के खिलाफ वातिल व बेअसार है। **– जिम्मेप्रतिवादी**

तनकी सं. 5 :– आया विवादित आराजी ख0न0 1540 पर आज तक प्रति. का कब्जा काश्त है। अतः दावा वादीगण काबिज खारिजी के है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 4 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

उक्त तनकी स. 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था तथा तनकी स. 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादीगण द्वारा नकल जमाबंन्दी संवत 2052 लगायत 2055 पेश कि गई जिसमें ख0न0 1540 रकवा 2.00 बीघा पर प्रतिवादी नाहरसिंह पुत्र बसी की खातेदारी अंकित है। जिसे वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 05.07.90 जो प्रदर्श 2 को प्रतिवादी से किमतन खरीद किया है। तथा तभी से वादीगण विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। तथा इसी के आधार पर वादीगण ने उक्त आराजीयात पर अपनी खातेदारी दर्ज कराने की प्रार्थना की है। इस संबंध में वादीगण ने एक नजीर आर.आर.डी. 2003 पेश कि गई जिसमें सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 के तहत एवं पंजीयन अधिकारी की धारा 6 के तहत वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसके अलावा विक्रय पत्र स्वयं विक्रेता ने यह तहरीर किया कि उसने जमीन कि किमत अदालत के समक्ष प्राप्त कर ली है। तथा कब्जा भी आज दिनांक में पूर्णतय क्रेता को दे दिया है। ऐसी स्थिति में जब पंजीकृत अदालत विक्रय दस्तावेजो में प्रतिफल करने व कब्जा देना अंकित है तो ऐसी स्थिति में सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानो के अधीन ऐसी विधिक दस्तावेज है जब तक कि सक्षम न्यायालय से उसे निरस्त नही करवाया जाता है। इसके अलावा वादीगण ने स्वंय का बयान पीडब्लू 1 तथा अन्य गवाह पीडब्लू 2 एवं 3 कराये है जो वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा होना ताईद करते है। इसके अलावा प्रतिवादी ने एक वाद पत्र स. 400/2008 उनवानी नाहरसिंह बनाम मनोहरलाल अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. इस न्यायालय में पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी ने बयनामा तारीख 05.07.90 को बातिल व बे असर घोषित किया जाने कि प्रार्थन की है जो प्रदर्श 5 है उसे न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2016 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी नकल वादीगण द्वारा पेश कि गई। इसके विपरित में प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कि गई। जिससे यह तनकी स. 4 को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः तनकी स. 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में तहरीर किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1540 रकवा 2 बीघा को वादीगण ने बा हिस्सा बराबर खरीद किया था। परन्तु सहवन से 1/3 हिस्सा पर श्यामा पुत्र सूखा जाति जाटव का नाम अंकित होना बताया गया क्योकि उसी दिन वादी सं. 1 मनोहरलाल ने अपना खसरा नम्बर 1632 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम खांगरी का 1/3 हिस्सा धर्मा पुत्र सूखा जाति जाटव को विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र प्रदर्श 3 है। जबकि वादीगण ने विवादित आराजी को खरीद किया है। इस तथ्य को स्वंय धर्मा पुत्र सूखा जाति जाटव ने जरिये अनरजिस्टर्ड इकरार पत्र में स्वीकार किया है। परन्तु श्यामा पुत्र सूखा ने भी जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रजिस्टर्ड बयनामा 1/3 हिस्सा कय कि गई है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति बयनामा से स्पष्ट साबित है जो कि इन्कार नही किया जा सकता है, इसके अलावा श्यामा का पुत्र किशोरसिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान पेश किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 05.07.1990 को मृतक नहारसिंह ने मनोहरलाल व शांति देवी पत्नि मनोहरलाल को खसरा नं. 1540 रकवा 2 बीघा का विक्रय पत्र तहरीर कराया था परन्तु गलती से 1/3 हिस्सा का नाम मेरे पिता धर्मा का नाम अंकित हो गया जबकि मेरे पिता ने उक्त आराजी का 1/3 हिस्सा खरीद नही किया था मेरे पिता ने मनोहरलाल से खसरा नं. 1632 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम खांगरी का 1/3 हिस्सा खरीद किया था तथा वह दिनांक 05.07. 1990 को विक्रय पत्र के समय में मैं मौजूद था इसके अलावा वादी प्रतिवादीगण ने अपने ब्यान पेश किया। इसके विरोध ने प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौके साक्ष्य पेश नही किये गये। इसप्रकार से वादी गण इस तनकी को पूर्णतया सिद्ध किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था इस तनकी के सम्बन्ध में वादीगण ने नकल विक्रय पत्र तारीख 05.07. 1990 प्रदर्श 2 बताया है कि स्वंय विक्रेता ने अपने विक्रय पत्र 05.07.1990 में तहरीर किया है कि उसने विवादित आराजीयात की कीमत अदालत में प्राप्त की तथा कब्जा आज दिनांक को पूर्णतया क्रेता को दे दिया गया है इसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर आर. आर.डी. 1994 पेज 22 में निर्णित किया है कि यदि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय करने एवं कब्जा देने के बाद इंकार करता रहा है जो उसे रिकॉर्ड नाइच न्यायोचित नहीं होगा तथा धारा 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् कब्जा विवादित आराजी का ही है। इसके अलावा वादी ने स्वंय का ब्यान पी.डब्लू.। तथा अन्य गवाह पी.डब्लू. 2 व 3 पेश किये गये वे भी वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा माना है। जबकि इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण तथा प्रतिववादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये जबकि वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 05.07.1990 से विवादित आराजी का कब्जा प्रतिवादी से प्राप्त किया है जिसे स्वंय प्रतिवादी ने तहरीर किया है। इसके अलावा वादी ने स्वंय का ब्यान तथा अन्य गवाह पेश किये है उन्होने भी वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा माना है। ऐसी स्थिति में ये तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार तनकीयात को निर्णित करते हुए वादीगण का वादपत्र काबिल डिक्री मानकर निम्न प्रकार डिक्री किया :–

"अतः आदेश है कि विवादित आराजी नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा जो नकल मिलान क्षेत्रफल पर सम्वत 2060 के हाल खसरा नम्बर 3173 रकबा 0.50 हैक्टे. वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई पर स्थित है। जिस पर प्रतिवादी मृतक नाहरसिंह पुत्र वंशी जाति जाट निवासी गांव खांगरी तहसील नदबई अंकित है। को कलमजन कर वादी सं. 1/1 पुरूषोत्तम की 1/6 हिस्से पर तथा वादी सं. 1/2(अ) मु.बीना शर्मा, 1/2 (ब) योगेशकृष्ण, 1/2(स) आनन्द को संयुक्त की 1/6 हिस्से पर तथा वादी सं. 2 शान्तिदेवी की 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रखे जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तथा प्रतिवादी सं. 1(1) को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की विवादित आराजी में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्तानुसार डिक्री के विरुद्ध अपील मीमों में निम्न आधार लेकर हस्तगत अपील पेश की है :–

"अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र आराजी खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई जिसका हाल खसरा नम्बर 3173 रकबा 0.50 हैक्टर बन्दोवस्त द्वारा निर्मित किया है का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 नाहर सिंह पुत्र बंशी था जिसके द्वारा जरिये रजि० विक्रय–पत्र दिनांक 05.07.1990 को उक्त विवादित आराजी का विक्रय वादीगण/अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के पिता मनोहरलाल को 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट सं. 2 शान्तीदेवी को 1/2 हिस्सा का किया था। तभी से अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 उक्त विवादित आराजी पर आज तक बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु विक्रय पत्र में डीड राईटर की गलती से 1/3 हिस्सा पर श्यामा पुत्र सूका का नाम गलती से अंकित हो गया था तथा विवादित आराजी पर कब्जा भी वादीगण का है जिसे स्वयं श्यामा पुत्र सूका जाति जाटव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा के विक्रय पत्र में मेरा नाम भूल से दर्ज हो गया है जिसकी ताईद बयानों में स्वयं श्यामा पुत्र सूका के पुत्र शेरसिंह पुत्र श्यामा द्वारा भी की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की तनकी सं. 2 के निर्णय में उक्त तनकी को स्वीकार कर वादीगण/अपीलान्ट्स के हक में निर्णित किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय की अन्तिम पैरा में नाहरसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण को कुल 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर शेष इन्द्राजात बदस्तुर रखे जाने के आदेश पारित किये है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 नाहर सिंह द्वारा अपने समस्त हिस्से की आराजीयात का विक्रय पत्र तहरीर करा दिया था तथा उसने आराजी की कीमत प्राप्त कर दी है तथा कब्जा भी क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता नाहर सिंह के हक में 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रखे जाने का निर्णय खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है व समस्त हिस्सा आराजी पर वादीगण/अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राजात दर्ज कर दावा डिक्री किये जाने का आदेश पारित किये जाने चाहिए थे।"

इस प्रकार अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता के खाते के शेष रही 1/3 भूमि को भी अपनी एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में घोषित कराना चाहता है। प्रदर्श–2 पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.07.1990 के अनुसार नाहर सिंह पुत्र वंशी जाति जाट द्वारा खसरा नम्बर 1540 रकबा 2 बीघा भूमि मनोहर लाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद, शान्ति देवी पत्नी मनोहर लाल जाति ब्राह्मण एवं श्यामा पुत्र सूका जाति जाटव निवासी खांगरी को बहिस्सा बराबर बेचान की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2003 को वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार किया गया था जिसमें श्यामा पुत्र सूखा जाति जाटव को प्रतिवादी सं. 2 के रुप में पक्षकार बनाने एवं पर्चा तरमीम की अनुमति दी गयी थी। इस आदेश दिनांक 10.09.2003 के विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 नाहर सिंह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2005 में यह माना कि उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में दिनांक 10.06.2003 को आर्डर 1 रुल 10 एवं धारा 151 सीपीसी एवं आर्डर 6 रुल 17 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें लिखा गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1990 में गलती से 1/3 हिस्से पर श्यामा पुत्र सूखा जाटव का अंकन कर दिया गया है इसलिए वह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में जरूरी है। चूंकि डीड राइटर की गलती से विक्रय पत्र में गलत अंकन कर दिया है इसलिए विक्रयपत्र को प्रभावहीन कराने का अधिकार है। इस प्रकार का संशोधन कराना वादपत्र में जरुरी है। स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी का उक्त आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है तथा इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पक्षकार बनाकर विक्रय पत्र में उसके नाम वर्णित भूमि को प्रभावहीन घोषित करने सम्बन्धी संशोधन की आज्ञा प्रदान करना भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार गलत है क्योंकि धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर श्यामा को पक्षकार बनाकर उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र को प्रभाव शून्य घोषित कराना चाहते हैं जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है केवल सिविल न्यायालय को ही विक्रयपत्र को प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार है। इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर्डर 1 रुल 10 एवं धारा 151 सीपीसी के आवेदन व आर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र की स्वीकार किए जाने से मूल दावे का मौलिक स्वरुप ही बदल गया है जो कि कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है।'' इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2003 को निरस्त कर दिया।

इस प्रकार रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि बेचान की गयी है उसके द्वारा भी अगर यह स्वीकार किया जाता है कि उसका नाम सहवन से विक्रय पत्र में डीड राइटर की गलती से 1/3 हिस्सा पर अंकित हो गया तो भी उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। इस हेतु विधिवत रुप से पंजीयन प्रावधानों के तहत करेक्शन डीड करवानी होती है जो इस प्रकरण में नही करवायी गयी है। साथ ही इस प्रकरण में तो श्यामा पुत्र सूका जाति जाटव होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी प्रकरण में धारा 42 बी का उल्लंघन मानते हुए भी श्यामा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित करने के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया है। इसलिए अपीलान्ट एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के शेष रकबा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 न्यायोचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर